Brajesh
13.07.17

182

कार्यालय कोषाधिकारी झालावाड़

क्रमांकः– ओएपी / 17 / दिनांकः– / 06 / 2017

प्रेस नोट

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स (वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा) का भौतिक सत्यापन ई–मित्र केन्द्रो एवं अटल सेवा केन्द्र पर किया जा रहा है। पेंशनर्स भौतिक सत्यापन हेतु पीपीओं की प्रति, आधार कार्ड की प्रति एवं बैंक खाते की प्रति नजदीकी ई–मित्र केन्द्र धारक को उपलब्ध करवायेगा तथा ई–मित्र केन्द्र धारक द्वारा बायोमेट्रिक के आधार पर लाभार्थी का वार्षिक भोतिक सत्यापन किया जावेगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार लाभार्थियों को भोतिक सत्यापन हेतु 10 / –रू. का शुल्क कियोस्कधारक को अदा करना होगा ।

अतः समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक तक जिन पेशनर्स ने अपना भौतिक सत्यापन नही करवाया है वे **30.06.2017 तक अपने नजदीकी ई–मित्र केन्द्र पर वांछित दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर वार्षिक भौतिक सत्यापन (2017–18) एवं पेंशन पात्रता की जांच करावें। इसके अभाव में राज्य सरकार के निर्देशानुसार माह जून 2017 की पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।** जिन पात्र पेंशनरों द्वारा अभी तक भी अपना बैंक खाता संबंधित कोष / उपकोष में पेंशन हेतु जमा नही कराया है एवं जिनको पेंशन का भुगतान नही हो रहा है, अविलम्ब बैंक खाता संख्या की छायाप्रति संबंधित कोष / उपकोष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। पेंशनर की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिजन पेंशनर का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं पीपीओ की छायाप्रति अविलम्ब संबंधित कोष / उपकोष में प्रस्तुत करें ताकि मृतक पेंशनर की पेंशन बन्द की जा सके।

Sd
(सतीश कुमार गुप्ता)
कोषाधिकारी
झालावाड़

क्रमांकः– ओएपी / 17 / 572-98 दिनांकः 22 / 06 / 2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, झालावाड़।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झालावाड़।
3. उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ / पिड़ावा / अकलेरा / भ0मण्डी / म0थना / गंगधार / खानपुर / असनावर
4. विकास अधिकारी झालरापाटन / पिडावा / अकलेरा / भवानीमण्डी/डग / बकानी / मनोहरथाना / खानपुर कृपया अपने स्तर पर ग्रामसेवक / पटवारी के माध्यम से इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करावे ताकि सभी पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन हो सके ।
5. तकनिकी नोडल अधिकारी, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर ई– गर्वनेन्स सेल, झालावाड़, को प्रेषित कर निवेदन है कि समस्त ई–मित्र कैन्द्र संचालक को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का श्रम करें।
6. उपकोषाधिकारी झा0पाटन / अकलेरा / गंगधार / खानपुर / पचपहाड़ / पिड़ावा / म0थाना।
7. जिला सूचना एवं जनसर्म्पक अधिकारी झालावाड़, को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ ।
8. आयुक्त नगर परिषद, झालावाड़ को भेजकर लेख है कि पेंशनर की मृत्यु होने की स्थिति में पेंशनर की मृत्यु की सूचना इस कार्यालय एवं उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ को भिजवावें।

कोषाधिकारी
झालावाड़

6/7/17

ACP, DO